देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम—30 / 2013 की धारा—11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1780/भू अ०

दिनांक : 03/12/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—लोढ़िया, थाना—मोहनपुर, थाना सं०— 524, अंचल—मोहनपुर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **रिखिया से मोहनपुर (एन० एच० 133 पर) पथ पुनर्निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—लोढ़िया, थाना—मोहनपुर, थाना सं०—524, अंचल—मोहनपुर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.28 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33	5	रैयती	बाड़ी—2	0.08	बद्री प्र० राउत उर्फ बद्री प्र० राव वो गिरिजा प्र० राव पे० शीतल राउत।	मौजा—सोनवा, 521	खेसरा नं0 51, 45, 43	बाबूडीह, 525	सड़क
2	33	33	रैयती	बाड़ी—2	0.09	तथैव।				
3	33	55	रैयती	धानी—3	0.02	तथैव।				
4	33	54	रैयती	धानी—2	0.03	तथैव।				
5	31	6	रैयती	धानी—3	0.06	साधु प्र० राव वो श्याम कुमार राव पे० स्व० वकील राउत वो सुरेन्द्र प्र० राव पे० स्व० छकोड़ी राउत वो मुन्ना राव पे० स्व० ठाकुर राउत अंश समान सा० देह।				
			कुल रकवा—		**0.28**					

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम—2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता—सह—समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी

प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1780 / भू अ०, देवघर, दिनांक 03/12/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी <u>असाधारण/पाक्षिक</u> अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुननिश्चित किया जाय।

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर